

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बनाम महेन्द्र
 किस्म मुकदमा दावा नं. 104 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्रवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16-7-21	<p>कोक महामारी Covid-19 से होने वाले सङ्क्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में सर्वसाधारण जगहों में इफजाही तारीख पेशीयाँ देने पर पञ्जावली आज पेश हुई। वकूलाय करीफेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावाली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-9-21 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
15-9-21	<p>पत्रावाली पेश हुई। वकूलाय करीफेन उप./अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावाली अतिरिक्त लघुहस्ताक्षर दिनांक 5-10-21 का पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
5-10-2021	<p>पञ्जावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 के लक्ष्य आक्रोशित कैम्प कोर्टी सिमरस्ता के मज्जे-प-आम में पेश हुई। कादी महेन्द्र स्वयं उपस्थित/कादी महेन्द्र ने उपस्थित होकर एक प्राथमिक पत्र वाक्य वाक्य पर नो विड्या कर रजरीज किये जाने का निवेदन किया है। कादी के निवेदन पर वाक्य पर नो विड्या कर रजरीज किया जाता है। कादी की पहचान सम्पन्न प्राप्त पं. कोर्टी सिमरस्ता हाक की गई। पञ्जावली कैसर शुकर होकर वाक्य लक्ष्मील दारजिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> शिविर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर पञ्जावली मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर</p>	<p>महेन्द्र पञ्जावली पञ्जावली पञ्जावली कोर्टी सिमरस्ता (सीकर)</p>